कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल (उ०प्र०)

पत्र संख्याः– 70 /स्वा०वि०/2024 दिनांकः– 10/06/2024

नीलामी निरस्तीकरण सूचना/कुटेशन (बन्द लिफाफा) सूचना

नगर पालिका परिषद, सम्भल के पत्र संख्याः–67/स्वा०वि०/2024 दिनांकः–07.06.2024 के अन्तर्गत निर्गत नीलामी की सूचना जो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण के अंक दिनांकः–09.06.2024 में प्रकाशित हुई है जिसमें ईद–उल–जुहा (बकरीद) पर कुर्बानी उपरान्त् जानवरों से निकले ओज आदि की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांकः–14.06.2024 दिन शुक्रवार समय पूर्वान्ह 11:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जानी है, को अपरिहार्य कारण वश निरस्त करते हुए उक्त नीलामी खुली बोली के स्थान पर दरें बन्द लिफाफा में प्राप्त की जायेंगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार अपनी दरें/कुटेशन बन्द लिफाफा में निर्धारित दिनांकः–14.06.2024 दिन शुक्रवार समय पूर्वान्ह 11:00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उसी दिन अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सम्भल के समक्ष खोले जायेंगे। कुटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदया में निहित होगा।

शर्तें निम्नवत् हैं :–

1– निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् कोई कुटेशन/बन्द लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2– कुटेशन/बन्द लिफाफा के साथ जी०एस०टी०, पैन कार्ड, आधार कार्ड नं० संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– कुटेशन/बन्द लिफाफा में ओवर राइटिंग, कटिंग आदि मान्य नहीं होगी।

4– कुटेशन/बन्द लिफाफा में अंकित दरें स्वीकृति उपरान्त् अंकन 1,00,000/– रूपये की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/नकद धनराशि जमानत राशि के रुप में छः माह के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्भल के पक्ष में बंधक करना अनिवार्य होगा।

5– नगर पालिका परिषद, सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष/सभासद व इनके परिजनों को कुटेशन/बन्द लिफाफा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

6–नगर पालिका परिषद, सम्भल द्वारा कुर्बानी के ओज को फर्म/ठेकेदार द्वारा चिन्हित् स्थल (जो नगर पालिका सीमा से अधिकतम 05 कि०मी० दूर होने के साथ–साथ आबादी से भी लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगा तथा इस स्थल पर ओज ले जाने हेतु सड़क भी होगी) पर अपने संसाधनों से उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिसका डिस्पोजल सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जायेगा।

7–ठेकेदार/फर्म की यह जिम्मेदारी होगा कि वह कुर्बानी के ओज का निस्तारण तत्काल कर दे जिससे किसी जन सामान्य को कोई असुविधा न हो और न ही उनकी धार्मिक भावना आहत हो।

8–कुर्बानी के ओज (समस्त प्रकार) का वजन सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को पालिका कर्मी की उपस्थिति में धर्म काँटा पर स्वयँ कराकर कम्प्यूटराइज्ड रसीद पालिका कर्मी को उपलब्ध करानी होगी।

9–बकरीद पर्व नगर में तीन दिन अर्थात् 17.06.2024, 18.06.2024 व 19.06.2024 को मनाया जायेगा इसलिए प्रत्येक दिन की कम्प्यूटराइज्ड रसीदों के वजन के आधार पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को स्वीकृत दर के हिसाब से प्रतिदिन धनराशि का भुगतान पालिका कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन धनराशि जमा नहीं की जाती है तब नगर पालिका परिषद, सम्भल को उसकी जमानत धनराशि जब्त कर कम्प्यूटराइज्ड रसीदों में अंकित कुर्बानी के ओज की कुल मात्रा/वजन की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म से राजस्व की भांति वसूल करने हेतु नगर पालिका परिषद, सम्भल को अधिकार होगा।

10–उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म से जुर्माना वसूल किया जायेगा।

11–कार्य नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में रहकर करना होगा।

12–विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद–सम्भल का होगा।

उक्त से सम्बन्धित विवरण, शर्तें नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाईट **www.nagarpalikasambhal.in** पर देखी जा सकती हैं तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्र संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, सम्भल/दैनिक जागरण, सम्भल को अपने अगामी अंक में छोटे आकार में कम से कम व्यय पर एक बार प्रकाशन हेतु।
2. नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाइट **www.nagarpalikasambhal.in** पर अपलोड करने हेतु।

डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल